तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, नाथद्वारा** प्रकरण संख्या 25/2026 रे0फो0 **राजस्थान राज्य बनाम भैरूसिंह** **(1/9)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनाँक 12.03.2026

दिनांक 11.03.2026 को स्थानीय अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई।

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

अभियुक्त **भैरूसिंह** अनुपस्थित। अधिवक्ता **श्री राजकुमार पालीवाल** उपस्थित।

अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद सुनवाई आज के लिये स्वीकार किया गया।

शेष बहस चार्ज सुनी गयी।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया गया प्रकरण में अभियुक्त से 105 बोतल शराब बरामद हुई एवं अनुसंधान से अभियुक्त भैरूसिंह के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप प्रमाणित मानकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप बनना पाया जाता है। न्यायालय द्वारा इस स्तर पर बचाव पक्ष के किसी प्रकार के साक्ष्य का विवेचन नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध में आरोप विरचित किए जाने का निवेदन किया गया। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत लिखित बहस में वर्णित किये गयेः–

01. 2005 AIR (SC) 359, State of Orissa Vs Debendra Nath Padhi
02. 2011 AIR (SC) (Cri) 537, Sajjan Kumar Vs CBI
03. 2012 Supreme (SC) 617, Amit Kapoor Vs Ramesh Chander & Anr.
04. 2025 INSC 745, K.H. Kamaladini Vs State
05. 2025 INSC 758, State Represented by Inspector

of Police CBI, ACB Visahakhapatnam Vs Eluri Srinivasa Chakravarthi & Ors.

इसके विपरीत बहस के दौरान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में अभियुक्त को गलत तौर पर संलिप्त किया गया। अभियोजन के अनुसार वक्त कार्यवाही अभियुक्त की मोटरसाईकिल की टंकी पर बोरे के कट्टे में रबड़ ट्यूब में 105 बोतल शराब होना बताया गया, लेकिन सामान्य तौर पर मोटरसाईकिल पर आगे टंकी पर इतनी भारी मात्रा में शराब का परिवहन किया जाना संभव नहीं हैं। प्रकरण में अभियोजन के अनुसार अभियुक्त से बरामदगी दिनाँक 25.06.2015 को शाम 06 बजे की गई, लेकिन अभियुक्त को गिरफ्तार उसी दिन शाम को 07 बजे किया गया। यानि की बरामदगी पहले कर ली गयी एवं उसके बाद गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को जिस समय गिरफतार किया गया, उस समय अभियुक्त अपने घर पर था, जो अभियुक्त के घर पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा फुटेज से भी स्पष्ट हैं। प्रकरण में अभियुक्त को गलत रूप से संलिप्त किए जाने का अभियुक्त भैरूसिंह द्वारा पुलिसकर्मी रामप्रसाद वगैरह के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 137/2015 दर्ज करवाई गई, जिसमें बाद अनुसंधान एफआर प्रस्तुत की गई, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनाँक 03.07.2018 को एएसआई रामप्रसाद, सुल्तान, सुखबीर, दुर्गाशंकर, केसरसिंह व निर्भयसिंह के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त भैरूसिंह की पत्नी सज्जनकुंवर द्वारा भी मूल आरोपी एएसआई रामप्रसाद व केसरसिंह के विरुद्ध उनके साथ दिनाँक 09.06.2015 को मारपीट की घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 122/2015 दर्ज करवाई गई, जिसमें भी पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान एफआर प्रस्तुत कर दी गई, लेकिन न्यायालय द्वारा दिनाँक 06.01.2018 को पुलिसकर्मी रामप्रसाद व केसरसिंह के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया गया। हस्तगत

प्रकरण में भी मूल कार्यवाही रामप्रसाद द्वारा की गई थी एवं रामप्रसाद सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। प्रकरण में जो कार्यवाही लोकेश जोशी द्वारा बताई गई, वह गलत है। लोकेश जोशी वक्त कार्यवाही राजसमन्द जिले में भी नहीं था। पत्रावली पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं हैं। इसलिए अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के इस स्तर पर न्यायालय को केवल मात्र प्रथम दृष्टया मामला ही देखना होता है। सूक्ष्मता से साक्ष्य का विवेचन आरोप के प्रकम पर नहीं करना होता हैं। आरोप के संबंध में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि आरोप विरचित किए जाने के समय न्यायालय को विस्तृत विश्लेषण तथा उपलब्ध सामग्री का विस्तृत मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। आरोप के प्रक्रम पर पर्याप्त साक्ष्य होना आवश्यक नहीं है। केवल गंभीर संदेह ही उन्मोचन की प्रार्थना को खारिज किए जाने के लिए पर्याप्त है। इस स्तर पर केवल इतना ही देखा जाना है कि अभियोजन द्वारा एकत्रित साक्ष्य उसे आगे चलाने के लिए पर्याप्त है या नहीं। प्रकरण की सुसंगत पृष्ठभूमि यह है कि दिनाँक 25.06.2015 को अभियोजन के अनुसार अभियुक्त भैरूसिंह के आधिपत्य से 105 बोतल शराब जब्त की गई, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध बाद अनुसंधान अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान गवाहान् द्वारा भी अभियोजन कहानी का समर्थन किया गया है एवं सभी गवाहान् द्वारा अभियुक्त के आधिपत्य से शराब जब्त किए जाने के कथन किए गए। अधिवक्ता अभियुक्त का मुख्य रूप से तर्क रामप्रसाद के सम्बन्ध में हैं लेकिन हस्तगत प्रकरण में अभियोजन गवाह सूची में रामप्रसाद का नाम अंकित नहीं हैं। जहाँ तक अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क हैं कि कार्यवाही रामप्रसाद द्वारा की

गयी क्योंकि लोकेश जोशी उस रोज राजसमन्द जिलें में भी नहीं था। इस सम्बन्ध में न्यायालय का विनम्र मत हैं कि यह सही विचारण का विषय हैं। बहस आरोप के स्तर पर अभियुक्त की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किये गये लेकिन इस स्तर पर साक्ष्य का विवेचन नहीं किया जा सकता हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिर्णय **2025 INSC 758, State Represented by Inspector of Police CBI, ACB Visahakhapatnam Vs Eluri Srinivasa Chakravarthi & Ors.** में यह अभिनिर्धारित किया गया हैं कि :–

24. The decisions of this Court in Satish Mehra v. Delhi Administration and another and State of Bihar Vs Ramesh Singh took divergent views on the competence of a special court/magistrate to look at material other than the final report read with documents filed by the prosecution in terms of section 173 of the CrPC. The issue was referred to a three-judge bench for decision in State of Orissa v. Debendranath Padhi. The full bench in a detailed examination of the statutory scheme and also the precedents on the point has held that the accused at the stage of framing of charge does not have a right to file material or documents. It is apt to excerpt the following paragraphs from the said decision.

“**8.** What is the meaning of the expression “the record of the case” as used in Section 227 of the Code. Though the word “case” is not defined in the Code but Section 209 throws light on the interpretation to be placed on the said word. Section 209 which deals with the commitment of

case to the Court of Session when offence is triable exclusively by it, inter alia, provides that when it appears to the Magistrate that the offence is triable exclusively by the Court of Session, he shall commit "the case" to the Court of Session and send to that court "the record of the case" and the document and articles, if any, which are to be produced in evidence and notify the Public Prosecutor of the commitment of the case to the Court of Session. It is evident that the record of the case and documents submitted therewith as postulated in Section 227 relate to the case and the documents referred in Section 209. That is the plain meaning of Section 227 read with Section 209 of the Code. **No provision in the Code grants to the accused any right to file any material or document at the stage of framing of charge. That right is granted only at the stage of the trial.**

15. In State of Maharashtra v. Priya Sharan Maharaj (1997) 4 SCC 393 it was held that at Sections 227 and 228 stage the court is required to evaluate the material and documents on record with a view to finding out if the facts emerging therefrom taken at their face value disclose the existence of all the ingredients constituting the alleged offence. The court may, for this limited purpose, sift the evidence as it cannot be expected even at that initial stage to accept all that the prosecution states as gospel truth even if it is opposed to

common sense or the broad probabilities of the case."

18. We are unable to accept the aforesaid contention. The reliance on Articles 14 and 21 is misplaced. The scheme of the Code and object with which Section 227 was incorporated and Sections 207 and 207-A omitted have already been noticed. Further, at the stage of framing of charge roving and fishing inquiry is impermissible. If the contention of the accused is accepted, there would be a mini-trial at the stage of framing of charge. That would defeat the object of the Code. It is well settled that at the stage of framing of charge the defence of the accused cannot be put forth. The acceptance of the contention of the learned counsel for the accused would mean permitting the accused to adduce his defence at the stage of framing of charge and for examination thereof at that stage which is against the criminal jurisprudence. By way of illustration, it may be noted that the plea of alibi taken by the accused may have to be examined at the stage of framing of charge if the contention of the accused is accepted despite the well-settled proposition that it is for the accused to lead evidence at the trial to sustain such a plea. The accused would be entitled to produce materials and documents in proof of such a plea at the stage of framing of the charge, in case we accept the contention put forth on behalf of the accused. That has never been the

intention of the law well settled for over one hundred years now. It is in this light that the provision about hearing the submissions of the accused as postulated by Section 227 is to be understood. It only means hearing the submissions of the accused on the record of the case as filed by the prosecution and documents submitted therewith and nothing more. The expression "hearing the submissions of the accused" cannot mean opportunity to file material to be granted to the accused and thereby changing the settled law. At the stage of framing of charge hearing the submissions of the accused has to be confined to the material produced by the police. (emphasis supplied)

25. Recently, in State of Rajasthan v. Swarn Singh @ Baba, to which one of us, Justice Pankaj Mithal, was a part of, relied on Debendra Nath Padhi (supra) to hold that the accused cannot and does not have the right to invoke section 91 of the CrPC at the time of framing of charge. Under the statutory scheme of the CrPC, sections 227/239 are positioned in the midway of continuing or abandoning the prosecution if no case is discernible from the chargesheet and documents. The common belief of the prosecution/complainant is that the report filed warrants trial and conviction, which is to be balanced by the magistrate against the belief of the accused that every prosecution initiated is

false and nothing short of an abuse of process. The magistrate, at this stage, by exercising the jurisdiction within the parameters set out by sections 227/239 of the CrPC, decides whether the narrative of the complainant warrants prosecution/trial or the accused is entitled to be discharged. The discretion is exercised in the manner stipulated by sections 227/239. The inner and outer limits of the discretion under these sections are no more res integra, and a few of the precedents having a bearing on the conspectus of the case are referred to hereunder.

25.1 In Sheoraj Singh Ahlawat Vs State of U.P., it is observed that inconsistency in material produced by the prosecution cannot be looked into for discharge of the accused in the absence of a full-fledged trial.

25.2 Reiterating the dictum in Debendra Nath Padhi again in State of Madhya Pradesh Vs Rakesh Mishra, it has been held that only the chargesheet along with accompanying materials are to be considered at the stage of framing of charges, so as to satisfy the existence of a case for trial.

25.3 Further, in State of Rajasthan Vs Ashok Kumar Kashyap, this Court reiterates beyond debate that defence on merits is not to be considered at the stage of framing of charges/discharge.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि आरोप विरचित किये जाने के समय

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत दस्तोवजों का विवेचन नहीं किया जा सकता हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टांतो में भी यही मत प्रतिपादित किया गया हैं। अभियुक्त की ओर से बचाव का कोई आधार हैं तो वह विचारण का विषय हैं।

हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अभियुक्त भैरूसिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम बनना पाया जाता हैं।

प्रकरण इस न्यायालय का टारगेट प्रकरण है। अधिवक्ता अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि आगामी पेशी पर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रखें।

पत्रावली वास्ते आरोप विरचना दिनाँक 24.03.2026 को पेश हो।